Delhi Public School (DPS), Ara
A CBSE-Affiliated Coeducational Senior Secondary School (Affiliation No. 330967)
Under the aegis of DPS Society, New Delhi
Dial: 8340129648 | 8409678833 |06182 248080
Email: admin@dpsara.org | Website: www.dpsara.org

CORONA RELIEF: REVISED FEE STRUCTURE

Taking cognizance of the pleas of parents, the Admission Fee for classes Foundation to IX for the session 2021-22 has been reduced by Rs. 5,000. The Tuition Fee for classes Foundation to IX for the session has been simplified in the range of Rs. 2,450 to 3,200 per month.

The excess fees paid for admissions so far for the session 2021-22 shall be adjusted against the Tuition Fees payable in second quarter of the academic year.

कोरोना राहत: संशोधित नामांकन/ट्यूशन शुल्क

डीपीएस आरा में अपने बच्चों का नामांकन कराने को इच्छुक अनेक अभिभावकों के आग्रह पर सत्र 2021-22 में नौवीं कक्षा तक के नामांकनों के लिए नामांकन शुल्क 5,000 रूपये कर दिए गए हैं। नौवीं कक्षा तक के संशोधित मासिक ट्यूशन शुल्क 2,450 से 3,200 रूपये होंगे।

इस घोषणा के पूर्व इस सत्र के लिए हुए नामांकन हेतु किए गए अतिरिक्त राशि के भुगतान को दूसरे त्रैमासिक के ट्यूशन शुल्क में समायोजित कर दिया जाएगा। दूसरे त्रैमासिक में सिर्फ शेष राशि ही देय होगी।

डीपीएस ने कोरोना संकट के लिए लागू की राहत योजना

आरा | निज प्रतिनिधि

कोरोना रिलीफ में एक कदम आगे बढ़ाते हुए डीपीएस आरा ने प्रवेश शुल्क और ट्यूशन फीस स्लैब में सरलीकरण करते हुए कक्षा नौ तक की सभी कक्षाओं के लिए ढाई से तीन हजार रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। स्कूल परिसर में बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में निदेशक राजकुमार और प्राचार्या मृदु अखौरी ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में स्कूल में बच्चों के प्रवेश की मांग करने वाले माता-पिता के लिए यह घोषणा की।

बताया कि कोरोना संकट में परिजन को राहत देते हुए कक्षा नौ तक की सभी कक्षाओं में प्रवेश शुल्क में पांच हजार रुपये की कमी कर दी गयी है। साथ ही कक्षा नौ तक की सभी कक्षाओं के लिए मासिक ट्यूशन फीस को भी ढाई से तीन हजार रुपये तक निर्धारित किया गया है। निदेशक व प्राचार्या के अनुसार राहत योजना घोषणा होने के बाद होने वाले नये प्रवेशों के लिए ही नहीं बल्कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में लिए गये प्रवेशों पर भी लागू होगी।

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में पहले से ही कक्षा नौ तक की सभी कक्षाओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता जिन्होंने पांच हजार रुपये अतिरिक्त प्रवेश शुल्क दिया है, उसे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान लिए जाने वाले मासिक शुल्क के भुगतान में समायोजित किया जायेगा। वहीं जो माता-पिता को अपने बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2021-21 के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते है, अब उन्हें कम प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क का भुगतान करना होगा।